

08-05-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री महेश श्रीवास्तव।

फरियादी देवेन्द्र सहित अधिवक्ता श्री विकास कांकर। उन्होंने फरियादी की ओर से मेमो पेश किया।

फरियादी ने प्रकरण राजीनामा होने की संभावना व्यक्त की।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्रीमती शिवानी शर्मा, जेएमएफसी गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज ही कुछ समय पश्चात् मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 22.05.18 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

**पुनश्च:**

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री महेश श्रीवास्तव।

फरियादी देवेन्द्र सहित अधिवक्ता श्री विकास कांकर।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी /आहत देवेन्द्र की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त एवं पहचान पत्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री विकास कांकर एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री महेश श्रीवास्तव द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी/आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं ।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 323, 506 बी के अधीन अभियोगपत्र पेश किया गया है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 341, 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की उक्त आरोपों के अधीन दोषमुक्ति होगा।

प्रकरण में जब्तशुदा लाठी डण्डे अपील अवधि बाद मूल्यहीन होने से नष्ट किए जावे।

आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)